

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/परीक्षा/2022-23/1148

भोपाल, दिनांक : 22/02/2023

प्रति,


कलेक्टर,
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय— कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु संशोधित समय-सारिणी जारी करने हेतु।

संदर्भ— राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र./राशिके/मूल्यांकन/परीक्षा/2022-23/7068 भोपाल, दिनांक 21.12.2022

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार प्रदेश की समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं तथा डाईस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के छात्रों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु जारी समय-सारिणी में आंशिक संशोधन किया गया है।

संशोधित समय-सारिणी 'परिशिष्ट-1' अनुसार संलग्न है।


(धनराज प्रसाद)
संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/परीक्षा/2022-23/1149

भोपाल, दिनांक : 22/02/2023

प्रतिलिपि—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल मध्यप्रदेश।
6. सचिव, मदरसा बोर्ड, मध्यप्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
8. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, भोपाल मध्यप्रदेश।
9. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
11. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले मध्यप्रदेश।

परिशिष्ट-1

राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल
कक्षा 5 व 8 वार्षिक परीक्षा संशोधित समय-सारिणी (TIME TABLE) वर्ष 2022-23

नियमित

| समय: सुबह 9:00 से 11:30 तक | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|---|---|--|---|
| कक्षा | 25.03.23 (शनिवार) | 27.03.23 (सोमवार) | 29.03.23 (बुधवार) | 31.03.23 (शुक्रवार) | 01.04.23 (शनिवार) | 03.04.23 (सोमवार) |
| 5 | प्रथम भाषा- विशिष्ट (हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू /मराठी) | पर्यावरण अध्ययन | द्वितीय भाषा- सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर) अथवा सामान्य हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है।) | अतिरिक्त भाषा- सामान्य उर्दू/हिन्दी/अन्य | - | गणित अथवा संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु) |
| 8 | विज्ञान | सामाजिक विज्ञान | प्रथम भाषा- विशिष्ट (हिन्दी/अंग्रेजी/ उर्दू/मराठी) | द्वितीय भाषा- सामान्य अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर) अथवा सामान्य हिन्दी (जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है।) | तृतीय भाषा- संस्कृत/सामान्य (हिन्दी/उर्दू/मराठी/ उड़िया/पंजाबी/अन्य) अथवा चित्रकला (मूक-बधिरों हेतु) | गणित अथवा संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु) |

नोट-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को मूल्यांकन निर्देशानुसार अतिरिक्त समय/लेखक अनिवार्यतः प्रदान किया जाए।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

22/02/2023